

गरीबी उन्मूलन (जनजाति के संदर्भ में)

श्रीमती अंजली गढ़वाल, प्रभारी प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय रेहटी, सीहोर

भूमिका :-

गरीबी एक वैश्विक समस्या है, जिससे न केवल भारत अपितु विश्व के अधिकांश देश ग्रसित है। भारत जैसे देश में गरीबी जाति, लिंग, धर्म, आदि के आधार पर विभिन्न रूपों में दिखायी देती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गरीबी की परिभाषा सापेक्षता, असमानता के संदर्भ में दी गई है। सभी समाजों में निश्चित न्यूनतम जीवन-स्तर होता है और उस स्तर से नीचे की स्थिति में जीवनयापन करने वाले उस समाज के लोग गरीब कहलाते हैं। इस प्रकार गरीबी का निर्धारण समाज के जीवन-स्तरों से सामाजिक मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से गरीबी एक प्रकार की असमानता है जो निर्धनों की जीवन-दशा तथा उनके जीवित रहने की सम्भावनाओं पर आय की असमानता से पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करती है। जिनके पास जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साधन या पैसा या सामर्थ्य नहीं है, वे निर्धन कहलाते हैं। जो लोग आय निम्नक्रम के तल पर होते हैं उनको गरीबों की श्रेणी में रखा जाता है। गरीबी एक आर्थिक एवं सामाजिक समस्या है। गरीबी एड्स नामक बीमारी से भी ज्यादा भयावह है। दुनिया के सभी लोगों को संतुलित आहार, पहनने को पर्याप्त वस्त्र एवं रहने के लिए आवास उपलब्ध नहीं है। कमोबेश भारत में भी स्थिति काफी खराब है। भारत के लाखों परिवार ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। जिन्हे दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार ३६.१७ करोड़ लोग गरीब हैं। गरीबी सामाजिक-आर्थिक समस्या का कारण है। वर्तमान अध्ययन गरीबी उन्मूलन परियोजना के माध्यम से जनजाति में सामाजिक गतिशीलता को प्रस्तुत किया गया है।

जनजाति:-

भारतीय समाज विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों का संगम है। जनजातीय समुदाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत में अनेकों जनजातीय समुदाय प्राचीन समय से ही पाये जाते हैं। रामायणकालीन शबरी अथवा महाभारतकालीन एकलव्य भील जनजाति के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। जनजाति किसी भी ऐसे स्थानीय समुदायों के समूह को कहा जाता है, जो एक

सामान्य भू-भाग पर निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता, हो और एक सामान्य संस्कृति का व्यवहार करता हों। प्रत्येक जातीय समाज की अपनी एक अलग आन्तरिक स्थिति होती है। यही तथ्य जनजातियों के लिये भी सत्य सिद्ध होता है। जनजातियों के अध्ययन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि विभिन्न जनजातियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उनकी अपनी कुछ निजी प्रथाएं एवं परम्पराएं हैं, जिसका वे अनवरत् रूप से पालन करते आ रहे हैं। जनजाति मध्यप्रदेश में बहुलता में पायी जाती है।

उद्देश्य:-

- गरीबी के बारे में पता लगाना।
- गरीबी को दूर करना।
- गरीबी हटाओं योजना का अध्ययन करना।
- जनजाति के बारे में जानना।
- योजनाओं का क्रियान्वयन को समझना।

शब्द कुंजी:-

गोंड, गरीबी, भोजन, स्वच्छता, समूह, योजना, विकास, क्रियान्वयन जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना
जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना - इन्दिरा गांधी गरीबी हटाओं योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से गरीबों के विकास के लिए जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) का प्रारम्भ किया गया। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) की शुरुआत २००१ से की गई। आजीविका परियोजना का प्रेरक उद्देश्य है कि इस योजना के अंतर्गत समाज के उन वर्गों को खड़ा करना है जो आज भी हमसे बहुत पीछे रह गए हैं। यह योजना सरकार द्वारा प्रदेश के १४ जिलों में क्रियान्वित है। इस कार्य के द्वारा पिछड़े वर्गों में भी अपने समान ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, व्यवसाय, विकास के लिए कार्य और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो उनके द्वारा किए जाते हैं, उनको पूर्ण रूप से नई दिशा देना, उनके नए आयाम खोजना ताकि उन्हें पूर्ण रूप से सक्षम बनाना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस परियोजना का लक्षित समूह - आर्थिक रूप से वंचित समूह, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार,

मजदूरी रोजगार के लिए पलायन करने वाले परिवार, उचित आवास एवं आश्रय रहित परिवार, महिलाएं एवं परिवारों का नेतृत्व करने वाली महिलाएं है। यह व्यक्ति के स्थान पर समूह पर आधारित योजना है। इस योजना में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए गांवों, कस्बों तथा जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। इसके तहत २६३२ गांव, ५३ विकासखण्डों और १४ जिलों को लिया गया जो निम्नानुसार है - १. छतरपुर, २. दमोह, ३. सागर, ४. पन्ना, ५. रायसेन, ६. विदिषा, ७. गुना, ८. टीकमगढ़, ९. सीधी, १०. नरसिंहपुर, ११. राजगढ़, १२. रीवा, १३. शाजापुर, १४. शिवपुरी।

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) ने सभी जिलों के गांवों एवं विकासखण्डों को मिलाकर 'ग्रामीणों के लिए अभिप्रेरणा' नाम का एक कार्यक्रम बनाया, जिसमें ५६,००० परिवारों ने भाग लिया। यह बताया गया कि आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, आप अपने तरीकों से अपने स्तर पर कैसे सुधार ला सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए सरकार आप को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। सभी स्तरों पर लोगों को जोड़ने के लिए इस संस्था ने समाहित समूह (ब्ल.ब्वउउवद प्दजमतमेज ळतवनचेद्ध नाम का एक समूह बनाया, जिसमें लोगों को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत की गतिविधियों इस प्रकार है -

- 1- **भू-आधार** -भू-भाग पर कुल २५८०८ योजनाएँ चलाई गई - जिसके तहत ६५५७ कुएं, ३११८ ट्यूबवेल, पम्प, पाईप आदि ऐसे कार्य किए गए।
- 2- **पशु कृषि फार्म** - जिसमें कुल १२,६६६ योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ - जिसमें ८३६४ डेयरी, पोल्ट्री फार्म ३७४, अन्य ३२५ आदि ऐसी विभिन्न योजनाओं पर कार्य किये गये।
- 3- **ट्रेडिंग** - जिसमें कुल ३८५४ योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ।

ग्राम विकास समूह ;टक्.टपससंहम कमअसवचउमदज बवउउपजजममद्ध.

'ग्राम विकास समूह' के ग्रामीणों ने स्वयं का एक बही खाता बनाया है जिसका नाम " अपना कोष " रखा गया है , जिसमें २६५० लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया।

क्र. सं.	प्रकार	उदाहरण
१.	भूमि स्तर पर	कृषि के विकास के लिए कुँए , ट्यूबवेल, मोटर

		पाइपलाईन आदि
२.	पशु कृषि फार्म	इसमें पशु पालन डेयरी, पोल्ट्री फार्म आदि।
३.	कार्य क्षेत्र / ग्रामीण व्यवसाय	इसके अन्तर्गत भवन निर्माण, कारीगरी, बढ़ई, द्वारा बनाई गई वस्तुओं का व्यवसाय, साईकल व आटो रिक्शा सुधारने की दुकान, रोड के किनारे होटल, अचार व पापड़ उद्योग, टेलर, राईस मील आदि।
४.	लेन-देन (ट्रेडिंग)	इसके अन्तर्गत किराना की दुकान, जनरल स्टोर, कपड़े की दुकान, मोबाईल की दुकान, फोटो कॉपी शॉप, बर्तन की दुकान, चमड़े के जूतों की दुकान आदि।
५.	आधारभूत संरचना	इसके अन्तर्गत पीने के पानी की व्यवस्था, सामुदायिक भवन का निर्माण, स्कूल भवनों का निर्माण, ग्रामीण लोगों से जुड़े रहने के लिए संरचना, वन व जल का संरक्षण विद्युतीकरण करना आदि।

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) द्वारा पाये गये परिणाम जिस कारण उसको सफल माना जाता है :-

- कुल आय में वृद्धि - ६५ प्रतिषत
- कृषि के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी- १४६ प्रतिषत
- कृषि की आय में बढ़ोत्तरी- ६६ प्रतिषत
- पशुपालन कुल आय में बढ़ोत्तरी- ६६ प्रतिषत

गरीबी उन्मूलन एवं जनजाति :-

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी. परियोजना) १४ जिलों में १५८ पी.एफ.टी के माध्यम से अपना कार्य कर रही है। इस परियोजना के मैदानी अमले की निरंतर कोषिष एवं मेहनत के नतीजे अब धीरे-धीरे साफ नजर आ रहे हैं। चाहे वह प्रथम चरण के गाँव हो, जिनमें समाहित समूहों द्वारा कार्य किया गया था अथवा नवीन जोड़े गये गाँव हो, सहयोग दल इकाईयों द्वारा सकारात्मक कार्य किया जा रहा है। प्रारंभिक अर्द्धवार्षिकी में परियोजना द्वारा ग्राम प्रवेश, मोबाईलजेषन, समूह गठन, समूहों की बचत तथा रोजगार कार्यक्रम में सराहनीय प्रगति की गई है।

सभ्यता आधारित महिला स्व-सहायता समूहों को केन्द्रित कर स्वयं की बचत का संदेश दिया जाकर परियोजना द्वारा कार्य किया जा रहा है। हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष तक परियोजना क्षेत्र के 9696 गाँवों में प्रवेश कर 63 हजार 805 ग्रामीण परिवारों को समूह चक्र में लाकर 5 हजार 263 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों द्वारा 280 ग्राम उत्थान समितियों का गठन किया गया है। समूहों द्वारा स्वयं की बचत कर 17.69 लाख रुपये समूह निधि एकत्रित की गई है तथा परियोजना के माध्यम से 3 करोड़ रुपये से अधिक सीड लोन के रूप में दिया गया है। निम्नलिखित तालिका में परियोजना के प्रथम वित्तीय वर्ष की उपलब्धियाँ प्रस्तुत की गयी हैं :-

गतिविधि	लक्ष्य	उपलब्धि
ग्राम निवेश	9,500	9696
स्व-सहायता समूह गठन	5000	5263
ग्राम उत्थान समिति गठन	9,500	280
कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण (सदस्य संख्या)	3000	2803
नियोजन (सदस्य संख्या)	5000	4572

सहयोग दलों द्वारा एक रणनीति के अन्तर्गत समूहों एवं ग्राम उत्थान समितियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। नतीजन 8 हजार से अधिक समूहों को प्रशिक्षण दिया गया है। लगभग 80 समूहों को विभिन्न एक्सपोजन विजिट पर भेजा जा चुका है, 97 प्रकार के विभिन्न प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर के माध्यम से परियोजना कर्मियों का क्षमतावर्द्धन किया गया है। परियोजना के द्वारा 225 से अधिक परियोजना कर्मियों को आंध्रप्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों का एक्सपोजर कराया गया है तथा 565 ग्राम उत्थान समितियों द्वारा अनुदान राशि प्राप्त कर 2 हजार 637 समूहों को प्रारम्भिक ऋण दिया गया है। समूहों द्वारा प्राप्त ऋण अपने सदस्यों को सामान्यतः कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पुराना ऋण चुकाने तथा अन्य कार्यों में दिया गया है सदस्यों द्वारा सबसे अधिक ऋण सबसे अधिक ऋण कृषि संबंधी कार्यों के लिए यानि 32 प्रतिशत लिया गया।

निष्कर्ष :-

गरीबी उन्मूलन परियोजना के माध्यम से जनजाति में सामाजिक गतिशीलता का विकास हुआ है। जनजाति के सामाजिक संगठन के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनजाति परिवारों के स्वरूप में अंतर आ रहा है। जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रधानता पाई जाती है। लेकिन समय के साथ-साथ यह परिवार कम होते जा रहे हैं। जिसका प्रमुख कारण औद्योगीकरण एवं मुख्य रूप से गरीबी है। इसके कारण जनजाति एक गाँव से दूसरे शहर

में प्रवास करते हैं। जो वहीं पर बस जाते हैं। धीरे-धीरे एकल परिवार में परिवर्तित होते जा रहे हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में गरीबी उन्मूलन जनजाति परिवारों से संबंधित जानकारी एकत्रित करना मुख्य उद्देश्य है। जिसके माध्यम से जनजाति परिवारों का विकास किया जा सके। गरीबी उन्मूलन परियोजना के प्रभाव से जनजाति के आर्थिक जीवन, सामाजिक स्थिति में आये परिवर्तन को ज्ञात किया गया है। गरीबी उन्मूलन परियोजना नीतिगत रूप से जनजाति की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया था।

सुझाव:-

- गरीबी के कारण हो रहे पलायन को रोकना।
- जनजाति में शिक्षा को बढ़ावा देना।
- स्व-सहायता समूह के माध्यम से सशक्त बनाना।
- स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान करना।
- महिला जनजाति की सहभागीता को बढ़ावा देना।

संदर्भ:-

- ट्राइबल एजुकेशन वेंकटेश प्रकाश नई दिल्ली:- एन. के.अम्बष्ठ 2009
- ट्राइबल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कनिष्क पबलिसिंग हाउस दिल्ली:-एम.बापूजी 9663
- द डायनमिक्स आफ रूलर सोसासयटी बर्लिन प्रेस:-आर.के.मुखर्जी 9657
- मध्यप्रदेश की जनजातियाँ एवं समाज व्यवस्था,म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल :- आर.पी. मिश्रा 9697
- जनजाति समाजशास्त्र म.प्र.हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल:-श्रीनाथ शर्मा 2006
- आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल
- ट्राइबल बेवसाईट